

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं
पीठासीन अधिकारी :- सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र :- 72/2023

GCMS NO- 2023/208

अनीता पत्नी लीला राम जाति अहीर निवासी ठाठवाडी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं
बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।


अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 25.11.2025


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, पहचान पत्र (लीला राम), आधार कार्ड (अनीता), आधार कार्ड (लीला राम), मृत्यु प्रमाण पत्र (लीला राम), प्रार्थना पत्र के समर्थन में साक्ष्य चन्द्रकला व बिमला देवी का शपथ पत्र तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक राजस्व/2023/1218 दिनांक 27.12.2023 की रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशंषा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ठाठवाडी पटवार मण्डल ठाठवाडी की जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता सं. 54 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	ठाठवाडी	जमाबंदी संवत् 2071-74 के खाता सं. 54 कुल किता 3 कुल रकबा 1.50 है,	लीलाधर पुत्र सरदारा	लीला राम पुत्र गोविन्द राम


(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 25.11.2025

क्रमांक :- राजस्व/2025/382
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. अनीता पत्नी लीला राम जाति अहीर निवासी ठाठवाडी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, खेतड़ी

